(28)

सर्व शिक्षा अभियान, शाहजहाँपुर।
कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, शाहजहाँपुर।

पत्रांकः 4828-34 / वै0शि0 / एस0एस0ए0 / 2007--08 दिनांक 22-1-09

अध्यक्ष / प्रबन्धक, 1–

जन कल्याण परिषद
किदवई नगर कानपुर

विषयः वैकल्पिक शिक्षा योजनान्तर्गत स्वैच्छिक संगठनों द्वारा ए0आई0ई0 प्रा0 संचालन के सम्बन्ध में

उपरोक्त के सम्बन्ध में आपको अवगत कराना है कि राज्य परियोजना कार्यालय लखनऊ के पत्रांक सा0 एवं वै0शि0 / 29285–587 / 2008–09 दिनांक 25 अगस्त 2008 के अनुसार जनपद शाहजहाँपुर में ए0आई0ई0 प्रा0 केन्द्र संचालन हेतु स्वीकृति प्राप्त हुई हैं जिसके अनुपालन में आपके द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को जिलाधिकारी / अध्यक्ष जिला परियोजना समिति शाहजहाँपुर की अनुमति के उपरान्त निम्न ए0आई0ई0 केन्द्रों के संचालन करने हेतु स्वीकृति प्रदान की जाती हैं ।

ब्लाक का नाम		ए0आई0 केन्द्रो के नाम
नगर शाहजहाँपुर	कुल- 05	वार्ड - 09
		वार्ड - 24
		वार्ड - 28
		वार्ड - 32
		वार्ड - 38

अतः आपको आदेशित किया जाता है कि उपरोक्त विकास खण्ड में लक्षित बच्चों को ए0आई0ई0 प्रा0 संचालित करने हेतु निम्न शर्तो के अनुसार कार्यवाही एवं पत्राजात तत्काल उपलब्ध कराना सुनिशिचत करें ।

1. सर्व शिक्षा अभियान की मार्ग दर्शिका के परिशिष्ट 08 के अनुसार 100 / –रू0 के स्टाम्प पेपर पर अनुबंध पत्र, आदेश प्राप्ति के दो दिनों के भीतर।
2. नियम और शर्तो के प्रत्येक पृष्ठ पर अध्यक्ष अथवा सचिव के हस्ताक्षर सहित परिशिष्ट 09 पर ।
3. अनुबंध पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले प्रतिनिधि के हस्ताक्षर करने के प्राधिकार के प्रस्ताव की प्रतिलिपि अध्यक्ष / प्रबन्धन द्वारा हस्ताक्षरित परिशिष्ट 03 पर।
4. अनबंध पत्र के साथ निम्नलिखित अभिलेख संलग्न करना अनिवार्य होगाः–

क– कार्ययोजना एवं एक्शन प्लान तथा समय सारिणी।

ख– विद्यालयीय शिक्षा से वंचित बच्चों के अभिभावकों के सहमति पत्र।(आवासीय ब्रिजकोर्स हेतु)

ग– कार्य करने वाले अनुदेशक एवं कर्मचारियें के नाम, पिता का नाम, शैक्षिक योग्यता सहित सूची (निर्देशानुसार) आदश प्राप्त के दो दिनों के अंदर उपलब्ध करायें

5. केन्द्र संचालन हेतु धनराशि तीन किश्तों में अवमुक्त की जायेगी।
6. प्रथम किस्त 40 प्रतिशत अवमुक्त की जायेगी ।
7. द्वितीय किस्त जारी करने से **ब्लाक स्तरीय मूल्यांकन समिति** की संस्तुति एवं पूर्व प्रथम किस्त का 75 प्रतिशत या अधिक धन का उपभोग प्रमाण पत्र मदवार प्रस्तुत करना होगा ।
8. अन्तिम / तृतीय किस्त जारी करने के लिये संस्था को लिखित अनुरोध, अभिलेखीकरण एवं चार्टड एकाउन्टेन्ट से ऑडिट स्टेटमेन्ट / निर्गत राशि का उपभोग प्रमाण पत्र देना होगा। प्रत्येक ए0आई0ई0 केन्द्र पर न्यून्तम 25 विद्यालीय शिक्षा से वंचित बच्चों की संख्या होना आनिवार्य है।

D:\Staff\H singh(dc as)\Rbc.doc